हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31-10-22 वकील डिक्रीदार उप०। वास्ते बहस पत्रा० दि० 9-11-22 को पेश हो।	
9-11-22 वकील डिक्रीदार उप०। वास्ते बहस पत्रावली दि० 16-11-22 को पेश हो।	
16-11-2022 वकील डिक्रीदार उप०। वास्ते बहस पत्रावली दि० 24-11-2022 को पेश हो।	
24-11-2022 वकील डिक्रीदार उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 26-11-2022 को पेश हो।	
26-11-22 वकील डिक्रीदार उप. है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इजराय आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
/2021	23.7.2021	26.12.2022

. बीरबल पुत्र स्व0 देवीलाल
. लखन पुत्र स्व0 देवीलाल
. नन्दा पुत्र स्व0 देवीलाल
. प्रकाश पुत्र स्व0 देवीलाल

जाति जाटव (चमार)
निवासी सालोदा
तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

. रीको जरिए क्षेत्रीय प्रबन्धक, खेरदा सवाई माधोपुर
. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर ——अप्रार्थीगण

अवार्ड के निष्पादन के लिए आवेदन पत्र

उपस्थित :— श्री अरविन्द अग्रवाल, एडवोकेट , प्रार्थी की ओर से
श्री परमानन्द शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी इजराय प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बीरबल वगैरा, जाटव निवासी सालोदा की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 82, 83, 88 व निर्माण को जरिए आदेश दिनांक 26.11.1996 रीको के लिए अवाप्त की थी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त अवाप्ति आदेश के विरूद्ध माननीय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी में एक रेफरेन्स मुत0 दीवानी संख्या 58/97 प्रस्तुत किया। जिस पर माननीय अदालत द्वारा रेफरेन्स दिनांक 26.11.96 को स्वीकार करते हुए पारित किए गए अवार्ड में संशोधन किया कि "मूल अवार्ड दिनांक 26.11.1996 को संशोधन किया जाकर प्रार्थीगण के खवरा नम्बर 82, 83, 88 व निर्माण की जो राशि 172721/— रूपए कम दिलाई है वह दिलाने का आदेश दिया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो अवार्ड जारी किया गया है उसमें उक्त राशि उक्त खसरा नम्बरों व निर्माण के मुआवजे के लिए संशोधित जोडी जाकर अवार्ड पारित माना जावेगा। दिनांक 26.11.1996 से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मुआवजा की असल राशि पर ताअदायगी देय होगा।" अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को दिनांक 9.3.1999 को 332103.50 रू0 तथा दिनांक 5.5.1999 को 155563.50 रू0 कुल 487667/— रू0 दिए हैं। इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा कोई भी राशि प्रार्थीगण को अदा नहीं की गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण का अपनी भूमि व निर्माण का मुताबिक आदेश रेफरेन्स [illegible]150586/—रू0 वाजिव बकाया है जो अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को अदा नहीं की गई है और प्रार्थीगण उक्त राशि पर तावसूली 12 प्रतिशत सालाना ब्याज अतिरिक्त प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण ने बीरबल के हक में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 18:28:53 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(रा0मा0)

रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम दिनांक 2.4.1999 को रजिस्टर्ड करवाया है जिस कारण उक्त इजराय को बीरबल को पेश करने का पूर्ण अधिकार है। अतः इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इजराय प्रार्थना पत्र मुताबिक अवार्ड स्वीकार फरमाया जाकर 1150586/–रू0 मय ता अदायगी 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के प्रार्थीगण को भुगतान दिलाया जावे।

इजराय प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 27.11.1998 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, गंगापुर सिटी, फोटोकोपी चैक दिनांक 9.3.1999 तादादी रू0 332103.50, फोटोकोपी प्राप्ति रसीद रू0 155563.50 चैक संख्या 316666 दिनांक 5.5.99, फोटोकोपी मुख्त्यारनामा आम दिनांक 2.6.1999 प्रस्तुत किए हैं।

इस प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई जवाव प्रस्तुत नही किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त ख0नं0 82, 83 व 88 विभाग हितार्थ अवाप्त किया जाना स्वीकार है। वर्णित प्रकरण सं0 58/97 में यदि रेफरेन्स के जरिए मुआवजा अवार्ड में किसी प्रकार का संशोधन किया गया है तो सम्बन्धित अवाप्ति अधिकारी द्वारा रेफरेन्स आदेश की अनुपालना में संशोधित अवार्ड राशि की मांग किए जाने पर नियमानुसार विभाग द्वारा राशि देय रही है। उक्त क्रम में आज दिन तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र इजराय सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने इजराय प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण की बकाया राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 से दिलाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण ने यह इजराय प्रार्थना पत्र गलत प्रस्तुत किया है क्योंकि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 27.11.1998 के अनुसार रेफरेन्स भूमि ख0नं0 82, 83, 88 के सम्बन्ध में बीरबल वगैरा द्वारा प्रस्तुत किया गया था एवं रेफरेन्स के जरिए मुआवजा अवार्ड में किसी प्रकार का संशोधन किया गया है तो भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा रेफरेन्स आदेश की पालना में संशोधित अवार्ड राशि की मांग किए जाने पर नियमानुसार राशि विभाग द्वारा देय रही है परन्तु इस क्रम में आदिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए प्रार्थना पत्र इजराय खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:53 IST
Reason: SenAttested

टर
0)

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। इजराय प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने उन्हें अप्रार्थी द्वारा दि0 9.3.1999 को रू0 332103.50 देना बताया है एवं दिनांक 5.5.1999 को रूपए 155563.50 देना बताया है। प्रार्थीगण के इस कथन की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति चैक दिनांक 9.3.1999 तादादी रू0 332103.50 से एवं छायाप्रति प्राप्ति रसीद रू0 155563.50 से होती है। प्राप्ति रसीद की छायाप्रति पर अंकित नोट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय ए0डी0जे0 गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 27.11.1998 की पालना में प्रार्थीगण को चैक संख्या 316666 दिनांक 5.5.1999 द्वारा रू0 155563.50 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण को माननीय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 27.11.1998 की पालना में राशि का भुगतान हो चुका है एवं अब प्रार्थीगण अन्य कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह इजराय प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण बीरवल वगैरा जाति जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत यह इजराय प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:53 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)